पत्रांक–डी०एम०सी०–01–एम–194 / 2018......................

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक..........................

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्य विभागों को प्राप्त आवंटन के विरूद्ध स्वामिस्व / मालिकाना फीस की कटौती संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– सरकार के अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक –2093 / एम०, दिनांक–21.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कार्य विभागों द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों के बावत मालिकाना फीस एवं स्वामित्व की कटौती की जॉच हेतु अंकेक्षण दल मेसर्स पी० पुनीत एण्ड कम्पनी, पटना को अधिकृत किया गया है। गठित अंकेक्षण दल/CA firm को खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार में जमा की जाने वाली रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की गणना में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।

मालिकाना फीस एवं रॉयल्टी की कटौती के आधार पर परियोजनाओं के Bill of Quantity (BOQ) में परिगणित मालिकाना राशि खनन शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें। इस संबंध में वांछित सूचना विहित प्रपत्र में भरकर खान एवं भूतत्व विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु०ः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह० / –
(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 3420 (अ)/भ० दिनांक– 9/4/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०ः– यथोक्त।

9.4.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव।

E:\New DD2 Letter.Docx

२१५

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक–सी0सी0–03 / 2020(कार्य विभाग)–2093 / एम0, पटना, दिनांक–21.03.26

प्रेषक,

भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / भवन निर्माण विभाग / लघु जल संसाधन / विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / पंचायती राज विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

आयुक्त (मनरेगा),
ग्रामीण विकास विभाग।

निदेशक,
बिहार अक्षय उर्जा विकास एजेंसी, बिहार, पटना / बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम / बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड, बिहार, पटना / भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, जय प्रकाश नारायण, अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार, पटना।

अध्यक्ष,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम।

अभियंता प्रमुख,
भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा कॉम्प्लेक्स, सैदपुर, पटना / बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0, बी0एम0पी0–5 कैम्पस, शेखपुरा, पटना–14 / बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना / नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि0, द्वितीय तल्ला, विद्युत भवन, बेली रोड, बिहार, पटना / साउथ बिहार पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लि0, विद्युत भवन, बेली रोड, बिहार, पटना / बिहार ग्रीड कॉरपोरेशन लि0 विद्युत भवन, बेली रोड, बिहार, पटना / बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 / बिहार मेडिकल सर्विसेज इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि0 / बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम।

कृ0पृ0उ0

D:\Sanjay/Kumarji/Draft

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना।

महाप्रबंधक,
पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया/क्षेत्रीय कार्यालय, NHAI, D-03, प्रथम तल, राजेश कुमार पथ, श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड, पटना/बिहार राज्य पथ निर्माण निगम, पटना।

सभी प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में कार्य विभागों को प्राप्त आवंटन के विरूद्ध स्वामिस्व/मालिकाना फीस की कटौती संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः — विभागीय अधिसूचना संख्या—4374 दिनांक 16.10.2024, आदेश ज्ञापांक 1101 दिनांक 10.02.2026 एवं पत्रांक 1433 दिनांक 20.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु कार्य विभागों द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों के बावत मालिकाना फीस एवं स्वामिस्व की कटौती की जाँच हेतु अंकेक्षक दल मेसर्स पी0 पुनीत एण्ड कम्पनी, पटना को अधिकृत किया गया है।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम—57 के प्रावधानों के तहत सरकारी परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस की वसूली सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान है।

उक्त क्रम में निदेशानुसार अनुरोध है कि आपके विभाग/निगम के अन्तर्गत परियोजनाओं के Bill of Quantity (BOQ) में परिगणित मालिकाना फीस के आधार पर मालिकाना फीस की राशि एवं नियमानुसार रॉयल्टी की राशि खनन शीर्ष में जमा कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए एवं संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथ ही प्रासंगिक विभागीय आदेश द्वारा गठित अंकेक्षण दल/CA Firm को खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जाने वाली रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की गणना में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु संबंधित को निदेशित करने की कृपा की

अनुलग्नकः—यथोक्त

विश्वासभाजन
12/02/26
सरकार के अपर सचिव

D:\Sanjay/KumarJi/Draft

खान एवं भूतत्व विभाग को देय रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की गणना से संबंधित प्रपत्र।

कार्य विभाग क नाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त आवंटन	प्राक्कलन के अनुसार व्यवहृत लघु खनिज का मूल्य	खान एवं भूतत्व विभाग को देय रॉयल्टी	खान एवं भूतत्व विभाग को देय मालिकाना फीस	खान एवं भूतत्व विभाग को खनन शीर्ष में जमा रॉयल्टी	खान एवं भूतत्व विभाग को खनन शीर्ष में जमा मालिकाना फीस	खान एवं भूतत्व विभाग का बकाया रॉयल्टी	खान एवं भूतत्व विभाग का बकाया मालिकाना फीस	खान एवं भूतत्व विभाग का कुल बकाया राशि (रॉयल्टी+ मालिकाना फीस)